

प्रेषक,

एच०पी० सिंह,  
विशेष समिति,  
३०२० शासन।

सेवा नं

निदेशक,  
राज्य नगरीय विकास अभियान,  
३०४० लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं ग्रामीण

लखनऊ : दिनांक ०३ फ़िल्डर, 2015

उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

विषय- घालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में आई०एच०एस०डी०पी० योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-37 से लाभार्थियों हेतु जनपद-मुलायमपुर की नगर निकाय-कोइरीपुर ०१ परियोजना हेतु मूल्य दृष्टि के स्पष्ट में वित्तीय रूपीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-३२५८८/एक/आई०एच०एस०डी०पी०/म०वृि/२०१५-१६, दिनांक ०२ जून, २०१५ के संदर्भ में मुझे यह कहने का निश्चय हुआ है कि वित्तीय वर्ष २०१५-१६ में अनुदान संख्या-३७ से आई०एच०एस०डी०पी० योजनान्तर्गत जनपद-मुलायमपुर की नगर निकाय-कोइरीपुर की ९५ आवासों के सापेक्ष सामान्य वर्ग के लाभार्थियों के ७२ आवासों की ०१ पुनरीक्षित परियोजना, जिसकी रु २८१.९० लाख की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-७८१/२०१५/१४३२/६९-१-१५-९(आई०एच०एस०डी०पी०-१)Y10, दिनांक २१ अगस्त, २०१५ द्वारा जारी की जा चुकी है, हेतु पश्चात परियोजना में हुए मूल्य दृष्टि के फलस्वरूप निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ-११ में अंकित देय अन्तर की परिवर्तनी रु ८१.०७ लाख (रूपये इक्ष्यासी लाख सात हजार मात्र) की परिवर्तनी को शासनादेश संख्या-८०४/६९-१-१४-१४(३०)/२०१४, दिनांक ३१ मार्च, २०१४ द्वारा नगर निगम, लखनऊ के पी०एल०ए० में संरक्षित परिवर्तनी में से आधिकृत कर वित्तीय वर्ष २०१५-१६ में व्यय किये जाने की, श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों व प्रतिबद्धताएँ अधीन सहृदय रूपीकृति प्रदान करते हैं :-

(प्रत्याग्रह साथ ४० रु)

क्र०	जनपद/ परियोजना/	सोडॉरी- परान्त	घरेलूरोपना	घरेलूरो- परान्त	सामान्य	अनुदान की राशि	पी०एक० परियोजना	पुनरीक्षित परियोजना	पुनरीक्षित परियोजना	पुनरीक्षित लाभ के अनुसार
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
१	मुलायमपुर/ कोइरीपुर-१०६/१५ आवास वर्ग	३०२.१०	७२	२२८.९०	१०९.०१	६१.८७	३/१.९५	२५१.९०	२६६.३०	८१.०७
										८१.०७

महोदय/परियोजना के लिए अधीन सहृदय रूपीकृति प्रदान करते हैं।

दामन - २

✓

८/१/१५

1. उक्त धनराशि नगरीय रोजगार एवं गरीबी उपशमन विभाग, भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुर तथा शासन/प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग/व्यवहार वित्त समिति/राज्य स्तरीय समन्वय समिति द्वारा निर्धारित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यवहार की जायेगी।
2. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय नियम संग्रह आग-6 के अध्याय के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
3. उक्त धनराशि का उपयोग उसी परियोजना/प्रयोजन के लिये किया जायेगा, जिसके लिए वह स्वीकृत किया जा रहा है। किसी प्रकार का द्वार्यात्मन अनुमन्य न होगा तथा भारत सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा में परियोजनाएं पूर्ण गुणवत्ता व पारदर्शिता के साथ पूर्ण करायी जायेगी एवं किसी प्रकार का कास्ट एस्केलेशन अनुमन्य न होगा।
4. उक्त धनराशि बैंक के माध्यम से आहरण के पश्चात् राज्य नगरीय विकास अभियान द्वारा परियोजना सम्बन्धी सभी परिवारों का सक्षम स्तरीय निराकरण कराकर गुणवत्ता आदि बिन्दुओं सहित यथापेक्षित योजना निर्देशों के अनुपालन पर आश्वस्त होकर, तत्काल सम्बन्धित हृड़ा इकाई/उनके माध्यम से निर्माण इकाई को उपलब्ध करा दी जायेगी, जो अपने स्तर पर भी उक्तानुसार सभी पहलुओं पर आश्वस्त हो जाएगी।
5. उक्त परियोजना हेतु अंतिम किश्त की धनराशि को सम्बन्धित सूड़ा/हृड़ा तथा उनके माध्यम से निर्माण इकाई को अवमुक्त किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि पूर्व में स्वीकृत धनराशियों को सम्मिलित करने के उपरान्त समस्त किश्तों की कुल धनराशि परियोजना लागत के सापेक्ष दैय/अनुमन्य धनराशि से किसी भी दशा में अधिक नहीं होगी। अनुमन्य धनराशि से अधिक धनराशि के स्वीकृत होने की दशा में उक्त धनराशि को तत्काल राजकोष में जगा कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
6. उक्त धनराशि का आहरण सचिवानिदेशक, राज्य नगरीय विकास अभियान, ३०प्र०, लखनऊ एवं सम्बन्धित हृड़ा द्वारा प्रमुख सचिव/सचिव अधिवा विशेष सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के प्रतिहस्तानरोपरान्त किया जायेगा।
7. प्रत्येक आहरण की सूचना भालेखाकार (राजकोष), भालेखाकार (लेखा), ३०प्र०, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बालुचर संख्या, तिथि तथा लेखा शीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जाये।
8. स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि को बैंक/डाकघर/डिपाजिट खाते व पी०एल०ए० में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार किया जायेगा तथा इसमें भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय। प्रश्नगत आहरण/भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र व राज्य के कर्तों की स्त्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का प्रयान रखा जायेगा। सूड़ा द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-२ के शासनादेश संख्या-वी-२-२९८/दस-२०१२-२४४/२०११, दिनांक २०.०३.२०१२ के प्रस्तर-३/४ का समुचित अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
9. परियोजना में सम्मिलित फेन्टांश व राज्यांश एवं लाभार्थी अंश की अनुमन्यता की सीमा तक व्यवहार करने का दायित्व सूड़ा/हृड़ा का होगा। इसके अतिरिक्त परियोजनान्तर्गत पूर्व में अवमुक्त किश्तों की धनराशि की गणना के सम्बन्ध में सूड़ा/हृड़ा स्वयं सन्तुष्ट हो जाएगा। यदि प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति से अधिक धनराशि अवमुक्त की जाती है तो इसका पूर्ण उत्तरदायित्व सूड़ा/हृड़ा का होगा।

10. परियोजनान्तर्गत धनराशि व्यय करने में 30प्र० के बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों का अनुपालन सूडाहृडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
  11. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में यथा कलेक्टर अवश्य करा दिया जाय और इसके बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन व भारत सरकार को समय से उपलब्ध कराया जाये। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि यदि, कोई हो तो एकमुश्त शालन को वापस करनी होगी।
  12. निदेशक/सचिव, राज्य नगरीय विभाग अधिकारण, 30प्र०, लखनऊ आहरण की वर्षान्त पर जपने लेखों का मिलान महालेखाकार के कार्यालय के लेखों से अवश्य करायेगा।
  13. उक्त रवीकृत धनराशि आवंटित परिव्यय के अन्तर्गत होने एवं प्रश्नगत परियोजना की दबावदृत्तियुक्तरादृति न हो, यह सूडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
  14. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग सम्बन्धित विभाग कार्यदारी संस्था से एम0ओ0य० (अनुबन्ध) निष्पादित कराने के पश्चात सुनिश्चित करेंगे। परियोजना से सम्बन्धित निर्माण इकाई से यथावश्यक अनुबन्ध (एम0ओ0य०) किये जाने हेतु सूडा द्वारा सम्बन्धित इडा को निर्देशित किया जायेगा।
  15. योजना में अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त (लेडा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-74(4)/75/11, दिनांक 25.01.2011 ने विहित व्यवस्था के अनुसार सुसंगत लेखा शीर्षक में जमा की जायेगी।
  16. लेबर सेस की धनराशि का भुगतान अम विभाग को वारतदिक रूप से किया जायेगा।
  17. प्रश्नगत परियोजना हेतु रवीकृत की जाने वाली मूल्यवृद्धि की धनराशि अनित्तम होगी। अधिष्य में उक्त परियोजना हेतु मूल्यवृद्धि के रूप में कोई धनराशि रवीकृत नहीं की जायेगी। अतः परियोजना का अवशेष कर्त्तव्य समयबद्ध रूप से पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
  18. कार्यदारी संस्था को धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व एस0एल0एन0ए0 (सूडा), यह सुनिश्चित कर लेने कि रवीकृत परियोजना में राज्यांश आवाहीय इकाई के वित्त धोषण सम्बन्धी निर्गत शासनादेश संख्या- 1813/69-1-07-14(102)/07, दिनांक 06 अक्टूबर, 2007 एवं शासनादेश संख्या-1447/69-1-10-14(102)/07, दिनांक 22 जून, 2010 के अनुरूप है एवं आगणन सहित अन्य किसी कारण से अन्तर धनराशि, यदि कोई हो तो उसे राज्योष में जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।
  19. परियोजना से सम्बन्धित निर्माण इकाई से यथावश्यक अनुबन्ध (एम0ओ0य०) किये जाने हेतु सूडा द्वारा सम्बन्धित इडा को निर्देशित किया जायेगा।
  20. प्रश्नगत परियोजना हेतु स्वीकृत धनराशि दिनांक 30.09.2015 से पूर्व आहरित कर व्यय कर ली जाय।
  21. योजनाओं हेतु लाभार्थी अंश लाभार्थी से प्राप्त किया जाना सूडा/इडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
  22. सूडा/इडा द्वारा पी0एफ0ए0डी0/इ0एफ0सी0 द्वारा अधिरोपित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्या-ए-8-2358/दस-2015, दिनांक 26 अगस्त, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

अवधीय,  
 12/03/16  
 (एच0पी0 सिंह)  
 विशेष सचिव।

संख्या- १२९ /2015/1432(1)(1)/69-1-15-9(आईएचएसडीपी-1)/10, तदिनांक।  
प्रतिलिपि जिम्मेदारिये को सुधारनार्थे एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रयुक्त।

1. महालेखाकार (लेखा एवं हक्कारी), प्रथम/द्वितीय, ३०प्र०.२० सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, ३०प्र०, इलाहाबाद।
3. निदेशक, स्थानीय नियंत्रण लेडा परीक्षा विभाग, ३०प्र०, छठवाँ तल, संगम प्लॉस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
4. जिलापिकारी/अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभियान, सुलतानपुर।
5. वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग-१/वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-४, ३०प्र० शासन।
6. नियोजन अनुभाग-५, ३०प्र० शासन।
7. नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।
8. कोषापिकारी, कलेक्ट्रोर, लखनऊ।
9. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभियान, ३०प्र०, लखनऊ।
10. सहायक वेद सास्टर, सूलो बो विश्वामीय वेद साइट पर अपलोड कराने हेतु।
11. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक वेजट समन्वयका।

आज्ञा से,

(एच०पी० लिंग)  
विशेष सविवा।